फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मांगीलाल बनाम करमीराम

किस्म मुकदमा ....225 आर.टी.एक्ट............ मुकदमा नंबर.........55/.........सन.2023...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/8/2023	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर जालोर के राजस्व प्रकरण संख्या 41/2023 बउनवान मांगीलाल बनाम करमीराम की आदेशिका दिनांक 19.07.2023 के आधार पर अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित अपील प्रस्तुत करना चाहते है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता अपीलाण्ट की अपील की ग्राह्यता एवं तथ्यों पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से 08 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्थ आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर में स्थित खसरा नम्बर 180 रकबा 3.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 3.62 हैक्टर के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आगामी पेशी 29.08.2023 को दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 8 द्वारा मौके पर उपरोक्त आराजी में तड़वा जाने वाले मार्ग की भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं भूमि को नष्ट करने पर आमदा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जावें एवं मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुए स्थगन आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 19.07.2023 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 19.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2023 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल मात्र प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया है, जो निर्णित प्रकरण/आदेश की संज्ञा में नहीं आता है। ऐसे में विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संधारण योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली